न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 03/2023

1. जगदीश सिंह पुत्र जवाहर लाल जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
2. विजेन्द्र सिहं पुत्र जवाहर लाल जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

..अपीलांट्स

बनाम

1. कलावती देवी पत्नि स्व0 राजेन्द्र सिंह
2. कमला देवी पत्नि स्व0 राजेन्द्र सिंह
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा राज.

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं. 628 वाके ग्राम ठेकडा तहसील महवा जो कि तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 28.10.2016 को दीगर व्यक्ति के नामान्तरण में फर्जकारी करके पुष्पेन्द्र सिंह, नटवरसिंह, मधुसूदन सिंह पि. दिलीप सिंह के बजाय मृतक व्यक्ति राजेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना निवासी मीना सीमला के नाम तस्दीक किया गया है।

उपस्थित–1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सुनील कुमार शर्मा, रेस्पों0सं0 1 व 2 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः 28.07.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, महवा द्वारा पारित नामान्तरण सं0 628 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि अपीलांट ने पूर्व में एक वाद पत्र उनवानी जगदीश सिंह बनाम कलावती वगै0 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय सिकराय में दिनांक 15.10.2022 को पेश किया गया था। जिसमे यधपि वादकरण उत्पन्न होने के उपरांत जानकारी की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण सं0 672 की प्रमाणित नकल ली जाकर उक्त वाद के साथ प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट को दिनांक 9.1.2023 को अपने अधिवक्ता से उक्त प्रकरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही बाबत मिलने पर नामान्तरण सं0 628 व 672 में फर्जकारी की जानकारी होते ही दिनांक 9.1.2023 को ही नकल प्राप्त की जिस पर बिना कोई देरी किये प्रश्नगत नामान्तरण के अवैध व फर्जी अंकन को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नगत नामान्तरण सं0 672 दिनांक 4.7.2017 में रेस्पों. सं. 1 व 2 के हक में किया गया नामान्तरण अंकन फर्जकारी कर किया गया है जिसकी पूर्व में अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए फर्जकारी कर बाद में किये गये नामान्तरण अंकन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की दिनांक तक के गुजरे हुए समय को न्याय हित में डिले कन्डोन फरमाई जावे। बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

जिला कलेक्टर,दौसा

....निरन्तर 2 पर

मूल नामान्तरण अपील पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम ठेकडा पटवार हल्का ठेकड़ा तहसील महवा जिला दौसा की राजस्व सीमा में आराजी भूमि खसरा नम्बर 10 रकवा 4 बीघा स्थित रही है। अपीलान्ट्स के पिता जवाहर लाल चौधरी ने अपने जीवनकाल में अपनी निजी आय से, उक्त वर्णित आराजी भूमि के खातेदार दिलीपसिंह राजपूत निवासी रामगढ़ जिला सवाई माधोपुर से एक प्लॉट/भूखण्ड चारों तरफ से पुख्ता नींव भरा हुआ व कुर्सी तक बाउण्ड्रीशुदा जिसकी नाप पूर्व-पश्चिम उत्तर की ओर 34 फीट तथा पूर्व-पश्चिम दक्षिण की ओर 31 फीट तथा उत्तर-दक्षिण पूर्व की तरफ 76 फीट तथा उत्तर-दक्षिण पश्चिम की तरफ 63 फीट जिसका क्षेत्रफल 226 वर्गगज एवं चतुर्थ सीमा पूर्व में 75 फिट भूमि छोड़कर जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एन. एच. 11 हाल एन. एच. 21) पश्चिम में खसरा नम्बर 10 का भाग उत्तर में मंदिर श्री गंगाजी दक्षिण में खसरा नम्बर 10 का भाग है, को अपने बड़े पुत्र राजेन्द्रसिंह के नाम से दिनांक 18.07.1975 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 10,000/- रूपये की एवज में खरीद की, एवं इसी आराजी भूमि में से मिन अपीलान्ट्स के पिता श्री जवाहर लाल चौधरी ने उक्त आराजी भूमि के खातेदार दिलीपसिंह राजपूत निवासी रामगढ़ जिला सवाई माधोपुर से एक अन्य भूखण्ड जिसकी नाप उत्तर-दक्षिण पूर्व की ओर 39 फिट, पूर्व-पश्चिम उत्तर की ओर 60 फिट, पूर्व-पश्चिम दक्षिण की ओर 45 फिट तथा चतुर्थ सीमा पूर्व दिशा में मकान पुख्ता क्रेता राजेन्द्रसिंह चौधरी पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 10 का भाग उत्तर दिशा में मंदिर श्री गंगाजी दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 10 का भाग स्थित है, को अपने बड़े पुत्र राजेन्द्रसिंह के नाम से दिनांक 09.09.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 3,000/- रूपये की एवज में खरीद किया था। उक्त वर्णित आराजी भूमि के बाद में तकास्मा होकर नये खसरा नम्बर 42/565 रकबा 0.98 है. कायम हुए (जिसमें रकबा 0.0350 है. किस्म गै.मु. आबादी तथा रकबा 0.9450 किस्म बारानी ए) हैं। चूंकि उक्त आराजी भूमि में से अपीलान्ट्स के पिता जवाहरलाल चौधरी द्वारा अपनी निजी आय से उपरोक्त वर्णित दोनों भूखण्ड क्रय किये गये थे, और उक्त क्रय किये गये भूखण्डो पर उनके द्वारा ही मकान दुकानात आदि तामीरात कराये गये, जिनका मिन अपीलान्ट्स के पिता जवाहर लाल चौधरी अपने जीवन काल में उपयोग उपभोग करते रहे, तथा अपीलान्ट्स तथा रेस्पोंडेन्ट्स संख्या एक व दो के पति व अपीलान्ट्स के बड़े भाई राजेन्द्रसिंह भी पिता जवाहरलाल चौधरी के साथ ही उक्त क्रय की सम्पत्ति पर काबिज होकर लाभान्वित होते रहे हैं। चूंकि जवाहरलाल चौधरी ने अपने जीवनकाल में अपनी निजी आय से अपने बड़े पुत्र राजेन्द्रसिंह के नाम से क्रय की गई उक्त सम्पत्ति का खातेदार दिलीपसिंह राजपूत से दिलीपसिंह के जीवन काल में नामान्तरण नहीं खुलवाया था। इसी बीच अपीलान्ट्स के पिता जवाहरलाल चौधरी की मृत्यु दिनांक 18.08.1999 को एवं अपीलान्ट्स के बड़े भाई व रेस्पोंडेन्ट्स संख्या एक व दो के पति राजेन्द्रसिंह की मृत्यु दिनांक 19.08.2012 को हो गई थी। इसके पश्चात् समय गुजरता रहा, और रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के मन में बदनियती आ जाने के कारण उन्होंने उक्त वर्णित आराजी भूमि के खातेदार दिलीपसिंह राजपूत के पुत्रान पुष्पेन्द्रसिंह, नटवरसिंह, मधुसूदनसिंह से तथा तत्कालीन तहसीलदार तहसील महवा से साजिशी तौर पर मिलीभगत करके, अपीलान्ट्स को नुकसान पहुँचाने की गरज से अपने मृतक पति राजेन्द्रसिंह के नाम उक्त वर्णित आराजी में से क्रय की गई भूमियों बाबत नामान्तरण किसी अन्य दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण संख्या 628 मे गलत तरीके से फर्जकारी करते/कराते हुए दिनांक 28.10.2016 को उक्त नामान्तरण में अपने मृतक पति राजेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति मीना निवासी मीना सीमला के नाम का नामान्तरण खुलने का गलत इन्द्राज करा लिया। अधिनस्थ तहसीलदार तहसील महवा ने रेस्पोंडेन्ट्स संख्या एक व दो के मृतक पति के हक में दिनांक 28.10.2016 को नामान्तरण किस आधार पर

जिला कलेक्टर,दौसा

....निरन्तर 3 पर

किसी दीगर व्यक्ति के नामान्तरण में फर्जकारी करते हुए गलत इन्द्राज कर दिया, जबकि रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के पति राजेन्द्रसिंह सन् 2016 में जीवित ही नहीं थे, उनकी मृत्यु तो दिनांक 19.08.2012 को ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार तहसील महवा ने मृतक व्यक्ति राजेन्द्रसिंह के नाम किसी दीगर व्यक्ति के नामान्तकरण संख्या 628 को साजिशी रूप से दुरूपयोग कर फर्जकारी करते हुए नामान्तरण सम्बन्धित गलत इन्द्राज किया है, इसलिए उक्त नामान्तरण संख्या 628 में राजेन्द्रसिंह के नाम के नामान्तरण सम्बन्धी इन्द्राज खारिज किये जाने योग्य है। नामान्तरण संख्या 628 शाहबुद्दीन, मोईनुद्दीन पि. ईमामुद्दीन से सीमा पत्नि सत्यप्रकाश, अर्चना पत्नि महेशचन्द के नाम संपरिवर्तन आबादी का नामान्तरण है, ऐसी स्थिति में दीगर के उक्त नामान्तरण संख्या 628 में ही विक्रय पत्र के आधार पुष्पेन्द्रसिंह, नटवरसिंह, मधुसूदनसिंह पि. दिलीपसिंह के स्थान पर रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के पति राजेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति मीना निवासी मीना सीमला के नाम फर्जकारी कर जो गलत इन्द्राज करते हुए नामान्तरण अंकन किया गया है, जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार तहसील महवा ने रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो से मिलीभगत कर जान बूझकर इन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से, यह सब कुछ जानते हुए कि दिलीपसिंह राजपूत के वारीसान द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के मृतक पति राजेन्द्रसिंह के हक में कोई पृथक से नामान्तरण नहीं खुलवाया गया है, दीगर व्यक्ति के संपरिवर्तन आबादी के नामान्तकरण संख्या 628 में फर्जकारी करते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के मृतक पति राजेन्द्रसिंह के नाम नामान्तरण अंकन इसलिए किया कि मृतक राजेन्द्रसिंह का अग्रिम नामान्तरण मिलीभगत के चलते साजिशी रूप से रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के हक में खोला जाना था, इस प्रकार तहसीलदार तहसील महवा द्वारा दिनांक 28.10.2016 में नामान्तरण संख्या 628 में मृतक राजेन्द्रसिंह के नाम का किया गया फर्जी नामान्तरण अंकन क़ानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित आराजी को अपीलान्ट्स के पिता व रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के ससुर जवाहरलाल उर्फ जवाहरसिंह ने अपनी निजी आय से ही अपनी सरकारी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण तथा रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के पति स्व. राजेन्द्रसिंह के बड़े पुत्र होने एवं कर्ताखानदान एवं घर परिवार की सार–संभाल करने के कारण ही उक्त वर्णित आराजी भूमि में से क्रय किये गये दोनों भूखण्ड़ों का विक्रय पत्र राजेन्द्रसिंह के नाम से पंजीकृत करवाया था, ऐसी स्थिति में खातेदार दिलीपसिंह राजपूत के वारीसान द्वारा राजेन्द्रसिंह के नाम किये हुए विक्रय पत्र के आधार पर उनकी मृत्युपरान्त उक्त बेचान की गई सम्पत्ति का नामान्तरण मिन अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो के हक में खुलवाया जाना चाहिए था, लेकिन तहसीलदार तहसील महवा ने रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या एक व दो को उनसे मिलीभगत के चलते अनुचित लाभ पहुँचाने के मकसद से दीगर व्यक्ति के नामान्तरण संख्या 628 में फर्जकारी करते हुए मृतक राजेन्द्रसिंह के हक में नामान्तरण का अंकन करने की बहुत बड़ी कानूनी गलती की है, इसलिए उक्त फर्जी नामान्तरण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने पूर्व में एक वाद पत्र उनवानी जगदीशसिंह बनाम कलावती वगै, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय सिकराय के समक्ष बाबत अधिघोषणा, विभाजन, अन्तःकालीन लाभ व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था, जिसमें यद्यपि वादकारण उत्पन्न होने के उपरान्त जानकारी की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 628 की प्रमाणित नकल ली जाकर उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अब अपीलान्ट्स नववर्ष में दिनांक 09.01.2023 को अपने अधिवक्ता से अपने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही बाबत वार्ता करने के लिए जाकर मिले, तब अपीलान्ट्स को अधिवक्ता ने उक्त प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 628 व 672 में फर्जकारी कर किये गये नामान्तरण अंकन के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने की कही, तब तुरन्त ही अपीलान्ट्स ने दिनांक 09.01.2023 को ही तहसील महवा में जाकर

....निरन्तर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरण संख्या 628 की प्रमाणित नकल लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी दिनांक 09.01.2023 को ही प्रमाणित नकल प्राप्त हो गयी, जिस पर बिना कोई देरी किये प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 628 के अवैध व फर्जी नामान्तरण अंकन को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार तहसील महवा के द्वारा किसी दीगर व्यक्ति के नामान्तरण संख्या 628 में फर्जकारी करके पुष्पेन्द्र सिंह, नटवरसिंह, मधुसूदन सिंह पि0 दिलीप सिंह के बजाय मृतक व्यक्ति राजेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति मीना निवासी मीना सीमला के नाम तस्दीक किये गये नामान्तरण अंकन को निरस्त फरमाया जावे साथ ही राजस्व अभिलेख में फर्जी अंकन के लिए संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे।

अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व 2 की ओर से बहस में दलील दी गई कि पटवारी हल्का ठेकडा के द्वारा रेस्पो0 के पति के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरण विधिवत् रूप से भरा जाकर तहसीलदार महवा के द्वारा तस्दीक किया गया है। पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक महवा के द्वारा अंकन सही होना माना जाकर तहसीलदार महवा द्वारा नियमोचित तरीके से नामान्तरण खोला गया है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पों0 सं0 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार महवा के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश विधि सम्मत एवं प्रक्रिया के अनुसार पटवारी द्वारा भरा जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक महवा के तुलनात्मक अंकन के पश्चात खोला गया है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न मूल नामान्तरण सं0 628 का अवलोकन किया गया। मुताबिक नामान्तरण सं0 628 में शाहबुद्दीन, मोईनुद्दीन पि. इमामुद्दीन के स्थान पर सीमा पत्नि सत्यप्रकाश व अर्चना पत्नि महेशचन्द संपरिवर्तित भूमि का विक्रय पत्र का नामान्तरण पटवारी हल्का ठेकडा के द्वारा भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक महवा के अंकन के पश्चात तहसीलदार महवा के द्वारा दिनांक 28.10.2016 को तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरण पर इतबाई का सजरा भी अंकन हो रहा है। उसके पश्चात अपीलांट्स के भाई राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह मीना के द्वारा क्रय की गई भूमि जो कि पुष्पेन्द्र सिंह, नटवरसिंह, मधुसूदन सिंह पि0 दिलीप सिंह के स्थान पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण प्रविष्टि का अंकन पृथक से किया जाना स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना प्रमाणित होता है। हम अधिवक्ता अपीलांट्स की इस दलील से सहमत हैं कि कोई भी नामान्तरण किसी व्यक्ति के नाम अलग से खोला जाता है किसी दीगर के नामान्तरण में किसी अन्य व्यक्ति के नामान्तरण का इन्द्राज नहीं किया जा सकता है। यह निर्विवादित है कि अपीलांट्स के भाई राजेन्द्र सिंह जिनका दिनांक 19.8.2012 को ही निधन हो चुका है। प्रश्नगत नामान्तरण में अपीलांट्स के भाई का निधन होने के कई वर्षों के उपरांत नामान्तरण में प्रविष्टि की गई है जो कानूनन न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती है। पटवारी हल्का ठेकडा द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पूर्व से तस्दीकशुदा नामान्तरण में मृतक राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह मीना के द्वारा क्रय की गई भूमि का अंकन किया गया है जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। हम प्रस्तुत अपील में सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 628 को राजेन्द्र पुत्र जवाहर सिंह मीना के द्वारा क्रय

....निरन्तर 5 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई भूमि के नामान्तरण मे प्रविष्टि के अंकन की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार महवा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में रेस्पों0 सं0 1 व 2 के पति राजेन्द्र सिंह के द्वारा क्रय की गई भूमि के नामान्तरण बाबत नियमोचित कार्यवाही पृथक से की जावे। साथ ही संबंधित दोषी पटवारी जिसके द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया गया है, उसके विरूद्ध सी0सी0ए0 रूल्स 16 के अंतर्गत कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलैक्ट्रेट दौसा को प्रेषित हो। तहसीलदार महवा को अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 28 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा